संख्याः 122/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः09 जून, 2006

विषयः–उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में नियमित संग्रह अमीन, संग्रह चपरासी एंव सहायक वासिल बाकी नवीस के पदों का सृजन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल मिसलेनियस रिट याचिका संख्या–9557 ऑफ 1997 उगराव सिंह रावत एंव अन्य बनाम जिलाधिकारी, नैनीताल एंव अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 16–7–1997 को पारित करते हुये राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था कि सीजनल अमीनों एंव चपरासियों के पदों के सृजन पर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा की गई संस्तुति पर विचार करें और तब तक याचीगणों को नियमित अमीन की भाँति वेतन आदि का भुगतान करने एंव उनकी सेवायें बिना कृत्रिम व्यवधान दिये जारी रखी जायें।

2– नियमित संग्रह कर्मचारियों यथा– संग्रह अमीन, संग्रह चपरासी , सहायक वासिल बाकी नवीस के नियमित पदों का सृजन मुख्य देयों की मांग के सापेक्ष किया जाता है। विविध देयों की वसूली के लिये सीजनल संग्रह कर्मचारियों के पदो की स्वीकृति जनपद में इन देयों की मांग के अनुरूप तीन माह के लिये वर्ष में दो बार मण्डलायुक्तों द्वारा दी जाती है। इन देयों की वसूली के विरूद्ध बाकीदार से 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि वसूली व्यय के रूप में प्राप्त की जाती है। इसमें से वसूली प्रमाण पत्र के सापेक्ष प्राप्त धनराशि सम्बन्धित संस्था को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दी जाती है एंव वसूली व्यय में प्राप्त 10 प्रतिशत धनराशि राजकोष में जमा हो जाती है। इन देयों में मुख्य रूप से बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विद्युत निगमों, जलसंस्थान आदि की अवशेष वसूली की धनराशियाँ होती हैं, जिन्हें नियमानुसार भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की शक्तियाँ जिलाधिकारी में निहित होती हैं।

.....(2)

3– पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य देयों की मांग जनपदों में नियमित अमीन के पद सृजित किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है। सीजनल संग्रह अमीन/संग्रह चपरासियों के नियमित पदों के सृजन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी नैनीताल एंव अन्य जिलाधिकारियों द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–9557/1997 उगराव सिंह रावत बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 16–7–1997 का सम्मादर करते हुये मुख्य देयों तथा विविध देयों की गत चार वर्ष की मांग के औसत के अनुक्रम में रु0 6.50 लाख प्रति अमीन प्रतिवर्ष को आधार मानते हुये राज्यपाल महोदय निम्नलिखित तहसीलों/जनपदों में सीजनल अमीनों (कुल 192 पद), सग्रह चपरासियों (कुल 192 पद) एंव ए0डब्लू0वी0एन0 (कुल 30 पद) के पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में सृजित किये जाने तथा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि या नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी, 2007 तक के लिये, इस प्रतिबन्ध के अधीन कि उनको बिना पूर्व नोटिस के पहले ही न समाप्त कर दिया जाये, बनाये रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	जनपद/तहसीलों का नाम	संग्रह अमीन संख्या/वेतनमान	संग्रह चपरासी संख्या/वेतनमान	सहा0वा0वा0न0 संख्या/वेतनमान
1–	नैनीताल (तहसील धारी, नैनीताल, कोश्याकुटोली एंव वेतालघाट)	12 (रु03200–85–4900)	12 (रु0 2550–55– 2660–60 – 3200)	2 (रु0 3050–75–3950–80 –4590)
2–	अल्मोड़ा	20 (तदैव)	20 (तदैव)	3 (तदैव)
3–	पिथौरागढ़	11 (तदैव)	11 (तदैव)	2 (तदैव)
4–	बागेश्वर	8 (तदैव)	8 (तदैव)	1 (तदैव)
5–	चम्पावत (तहसील चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट)	6 (तदैव)	6 (तदैव)	1 (तदैव)
6–	रूद्रप्रयाग	7 (तदैव)	7 (तदैव)	1 (तदैव)
7–	उत्तरकाशी	26 (तदैव)	26 (तदैव)	4 (तदैव)
8–	चमोली	11 (तदैव)	11 (तदैव)	2 (तदैव)
9–	टिहरी	31 (तदैव)	31 (तदैव)	5 (तदैव)
10–	देहरादून (चकराता, त्यूनी, एंव कालसी)	13 (तदैव)	13 (तदैव)	2 (तदैव)
11–	पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार को छोड़कर)	47 (तदैव)	47 (तदैव)	7 (तदैव)
	योग–	192	192	30

.....(3)

4– उपर्युक्त कर्मचारियों को उपरोक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हो, देय होंगे।

5– उपरोक्त पद निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जा रहे हैं:–

(एक) शासनादेश जारी होने की तिथि से मण्डलायुक्तों को पद सृजित किये जा रहे जनपदों/तहसीलों में सीजनल संग्रह स्टाफ के पदों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार समाप्त हो जायेगा।

(दो) अमीनों का पर्वतीय क्षेत्रों में वसूली का मानक रु0 6.50 लाख के स्थान पर रु0 8.00 लाख कर दिया जायेगा।

(तीन) भविष्य में समय–समय पर वसूली का मानक प्रति अमीन इस तरह से निर्धारित किया जायेगा कि इन अशासकीय देयों की वसूली पर शासन को कोई धनराशि व्यय न करनी पड़े अथवा न्यूनतम धनराशि ही शासन को वहन करनी पड़े।

(चार) सृजित किये गये पदों पर उन्हीं सीजनल कर्मचारियों का नियमितीकरण/नियुक्ति की जायेगी जिनकी मूल नियुक्ति उपरोक्त पर्वतीय तहसीलों/जनपदों में सीजनल कर्मचारी के रूप में हुई हो।

(पॉच) सीजनल संग्रह अमीनों का नियमितीकरण उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 (यथा संशोधित तथा उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के अधीन दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रथम बार शत प्रतिशत पदों को सीजनल संग्रह अमीनों द्वारा ही भरा जायेगा। यदि सीजनल संग्रह अमीनों में से आरक्षण सुनिश्चित नहीं हो पाता है तो आरक्षित अवशेष पदों को सीधी भर्ती से भरा जायेगा।

(छः) इस शासनादेश द्वारा सृजित अन्य पदों पर भर्ती संगत सेवा नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

(सात) संग्रह चपरासी व ए0डब्लू0बी0एन0 के पदों को भरते समय भी आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(आठ) इन पदों पर नियमित किये गये कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति, त्याग पत्र अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर रिक्त पदों को तभी भरा जायेगा, जबकि तत्समय लागू वसूली के मानक के अनुरूप जनपद में पदों की आवश्यकता हो अन्यथा तत्समय लागू मानक से अधिक स्वीकृत पद निरस्त समझे जायेंगे।

..(4)

6– यह शासनादेश सिविल मिसलेनियस रिट याचिका संख्या–9557/1997 उगराम सिंह रावत बनाम जिलाधिकारी, नैनीताल एंव अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–1997 के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

7– उक्त पदों पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–भू–राजस्व (मालगुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–204/वि0अनु0–5/2006 दिनांक 04 अप्रैल, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमॉयू/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय उत्तरांचल।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।